न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00481

1. रामेश्वर आयु 43 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. श्रीमती पुष्पा बाई आयु 62 वर्ष पत्नी श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

नन्दलाल (मृतक) भंवर लाल जाति माली निवासी खैराबाद जरिये कायममुकामान :–

1. रामकरण आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
2. रमेश आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
3. राजू आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
4. चन्द्रकला आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
5. मोत्या बाई बेवा स्व0 नन्दलाल जाति माली निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जा की आराजी के साथ ग्राम खैराबाद में खसरा

नम्बर 154 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 की 05 बीघा 10 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 163 की 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 की 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 की रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 की रकबा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 170 में चाह स्थित है । इसी के साथ खसरा नम्बर 171 व 172 की भूमि लगी हुई है । उक्त सभी खसरा नम्बरान के चारों ओर जिनमें खसरा नम्बर 171 व 172 भी सम्मिलित है पत्थर की चार दीवारी वादीगण के पूर्वजों के समय से गत 100 वर्षो से भी अधिक पुरानी बना रखी है । खसरा नम्बर 172 में वादीगण के पूर्वजों के समय से 02 कमरे टीन शेड के बने हुए हैं जिनका उपयोग वादीगण करते चले आ रहे हैं । खसरा नम्बर 172 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा भूमि प्रतिवादी क्रम 01 को आवंटित होने ओर उसके खाते दर्ज होने की जानकारी वादीगण को सर्वप्रथम दिनांक 16.06.2010 को हुई । उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । उक्त भूमि पर वादीगण का पूर्वजों के समय से पिछले 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार घोषित करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 172 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करें और न ही उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करने का प्रयास करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.10.2019 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि आवंटन के समय 07 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट के पास थी । रेस्पोडेन्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग में कर्मचारी था । राजकीय कर्मचारी होते हुए रेस्पोडेन्ट को आवंटन नियमों के विरूद्ध उक्त भूमि आवंटित हुई थी । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कभी कब्जा नहीं रहा है । उक्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से पिछले 100 वर्षों से काबिज हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी के साथ–साथ खसरा नम्बर 154 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 156 की 05 बीघा 10 बिस्वा, ख्सरा नम्बर 163 की 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 165 की 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 166 की रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 170 की रकबा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । इसी आराजी से लगी हुई खसरा नम्बर 171 एवं 172 की आराजी है जो वादीगण के खाते की आराजी में शामिल है । वादीगण ने उक्त भूमि के चारों ओर 100 वर्षों से चार दीवारी बना रखी है । खसरा नम्बर 172 में 02 कमरे टीन शेड के बना रखे हैं जो कृषि उपकरण रखने एवं जानवरों के बांधने के काम आती है । खसरा नम्बर 171 व 172 में कभी भी काश्त नहीं हुई है । खसरा नम्बर 172 की आराजी प्रतिवादी क्रम 01 को त्रुटिपूर्ण रूप से आवंटित की गई है जबकि इस पर 100 वर्षों से वादीगण का कब्जा है । परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से दावा वादी खारिज किया है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जिरह में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि इस पर मैने कभी खेती नहीं की है । इस पर मेरा कब्जा नहीं है । रेस्पोडेन्ट आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति नहीं था । पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के द्वारा कब्जे के आधार पर खातेदारी के लिए दावा पेश किया गया है । वादग्रस्त आराजी सरकार सिवायचक थी जिसको विधि सम्मत रूप से आवंटित किया गया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादीगण की ओर से एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया । दावे के समर्थन में पेश की गई नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 1 के अनुसार वादीगण के खाते में कुल 09 किता की 43.19 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 2 खसरा गिरदावरी की प्रति है जिसमें खसरा नम्बर 353 खातेदार के रूप में नन्दलाल प्रतिवादी का नाम दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार नन्दलाल के खाते में खसरा नम्बर 172 की 01 बीघा 07 बिस्वा आराजी दर्ज है । प्रदर्श– 4 नक्शा ट्रेस है ।

11. प्रतिवादी नन्दलाल की ओर से परीक्षण न्यायालय में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया है । प्रदर्श–ए–2 उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी के निर्णय दिनांक 0100201994 की प्रति है जिसके अनुसार नन्दलाल ने धारा 183 का दावा औंकार के खिलाफ पेश किया है । प्रदर्श–ए –3 दखलनामा की प्रति है ।

12. वादी की ओर से बयान रामेश्वर कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान नन्दलाल डीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

14. वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी जो कि प्रतिवादी के खाते में दर्ज है पर पुराने कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा पेश किया गया है । वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के खाते में दर्ज है। उनके द्वारा एक दावा सन् 1974 में औंकार के खिलाफ पेश किया था जो सन् 1994 में डिक्री किया गया है । खातेदार कृषक के खिलाफ लम्बे कब्जे के आधार पर वादी को हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वार यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादीगण खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00481

1. रामेश्वर आयु 43 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. श्रीमती पुष्पा बाई आयु 62 वर्ष पत्नी श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

नन्दलाल (मृतक) भंवर लाल जाति माली निवासी खैराबाद जरिये कायममुकामान :–

1. रामकरण आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
2. रमेश आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
3. राजू आयु 42 वर्ष पुत्र स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
4. चन्द्रकला आयु 45 वर्ष पुत्री स्व0 नन्दलाल जाति माली ।
5. मोत्या बाई बेवा स्व0 नन्दलाल जाति माली निवासीगण खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
6. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 54/दावा/2010

1. रामेश्वर आयु 43 वर्ष आत्मज श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

2. श्रीमती पुष्पा बाई आयु 62 वर्ष पत्नी श्री रामनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नन्दलाल आयु 60 वर्ष आत्मज भंवर लाल जाति माली निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.09.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से श्री संजय पाटौदी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2019 बहाल रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

7/9/21

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा